

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(2)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक: 7.9.17

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2017-18 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	सावर मल पारीक	01.04.2017
2.	बालेन्द्र पान्डेय	01.04.2017
3.	सुरेश कुमार गुप्ता	01.04.2017
4.	नरेन्द्र नाथ शर्मा	01.04.2017
5.	प्रमोद कुमार कौशिक	01.04.2017
6.	रामधन लाल मीना (अ.ज.जा.)	01.04.2017
7.	नारायण सिंह (अ.ज.जा.)	01.04.2017
8.	लेखराज जाग्रत (अ.जा.)	01.04.2017
9.	जगदीश कुमार (अ.जा.)	01.04.2017

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

07/09/17
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

07-09-17
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव